बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

ज्ञापांक सं0—2 / वि.60—128 / 2025—............/ पटना, दिनांक............/ 2026

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।
*द्वारा—आंतरिक वितीय सलाहकार

विषय :— मधुबनी जिला मुख्यालय में मॉडल नक्शा पर आधारित 620 क्षमता का 'अटल कला भवन' निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा समर्पित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर ₹ 19,73,26,000/—(उन्नीस करोड़ तिहत्तर लाख छब्बीस हजार रुपये) मात्र राशि की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेशः— स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय मांग संख्या—3 के अधीन योजना बजट शीर्ष—4059—लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय—60—अन्य भवन—051—निर्माण—0107—सांस्कृतिक संरचना, विपत्र कोड—03 4059600510107 के अंतर्गत विषय शीर्ष—5301—मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से होगा।

3. उक्त बजट के नियंत्री पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार हैं जिनके द्वारा राशि का आवंटन निर्गत किया जायेगा।

4. राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन (विश्वेश्वरैया भवन) पटना से की जायेगी।

5. इसका कार्यान्वयन ई—टेंडरिंग के माध्यम से भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन एवं व्यय विवरणी कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।

6. बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) का अनुमोदन और अगर DPR किसी वाह्य एजेन्सी से तैयार कराया जा रहा है उसकी सम्पुष्टि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार से नियमानुकूल प्राप्त की जायेगी।

7. बिहार वित्तीय नियमावली के आलोक में एकरारनामा की प्रति कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

8. किसी भी तरह के Variation/deviation की सूचना कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार को भी अवश्य दी जायेगी।

9. उक्त प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0—2 / वि.60—128 / 2025 के पृष्ठ—27 / टि0, दिनांक—24.06.2026 एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ—27 / टि0, दिनांक—24.06.2026 पर प्राप्त है।

10. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या—12888 दिनांक—03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में निर्गत किया गया है।

11. इस प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता अवधि एक साल रहेगी। उक्त अवधि के अंतर्गत कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में उसे प्रारंभ करने के पूर्व पुनः सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

12. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या—7355 वि (2) दिनांक—05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार—पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / —
(रुबी)
निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।

ITM
209

ज्ञापांक 189 /   पटना, दिनांक 24/06/2026

प्रतिलिपिः— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन (विश्वेश्वरैया भवन), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, (सांस्कृतिक कार्य)/आंतरिक वितीय सलाहकार/प्रशाखा पदा0–1 एवं 2/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/आई0टी0 प्रबंधक (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रुबी)

निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।